Court of ACJM, Biraul

Biraul P.S.- 235/18
G.R.- 651/18

05.09.2020

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप–पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 324, 307, 504, 34 के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मिथिलेश यादव एवं सात अन्य, जिनका नाम आरोप–पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरूद्ध समर्पित किया है। जबकि अभियुक्त 1. अजीत कुमार यादव 2. नीतिश कुमार यादव 3. कैलाश यादव को अनुत्प्रेषित किया गया, जिसे स्वीकार नहीं किया जाता है।

प्राथमिकी, आरोप–पत्र, वाद–दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। कांड–दैनिकी की कंडिका 4, 5, 6 एवं जख्म–प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत प्राथमिकी नामजद अभियुक्त **1. मिथिलेश यादव 2. पवन यादव 3. सुशील यादव 4. फूलो यादव 5. बहुरन यादव 6. लक्ष्मी यादव 7. अनिल यादव 8. राजकुमार यादव 9. अजीत कुमार यादव 10. नीतिश कुमार यादव 11. कैलाश यादव** के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 448, 341, 323, 307, 379, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तद्नुसार आरोप–पत्रित अभियुक्त मिथिलेश यादव एवं दस अन्य के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 448, 341, 323, 307, 379, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत दौड़ा–सुपूर्दगी की कार्यवाही हेतु निजी संचिका में रखा जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करे।

दिनांक 16.10.2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी